(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-2, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

नई दिल्ली, तारीख 05 अप्रैल, 2024

अधिसूचना

सा.का.नि. ---- (अ). केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्यों की सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1955 का आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1955, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है), में विनियम 4 में, सारणी में, खण्ड (क) के अधीन 'विषय' शीर्षक के अधीन सतंभ (1) में, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) प्रशासकों के लिए आधारभूत आर्थिक सिद्धांत"।

3. उक्त विनियम में, प्रथम अनुसूची में, 'लिखित परीक्षा' शीर्षक के अधीन, 'पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आधारभूत आर्थिक सिद्धांत' से संबंधित उप-शीर्षक 2 के स्थान पर "2. प्रशासकों के लिए आधारभूत आर्थिक सिद्धांत" उप-शीर्षक को रखा जाएगा।

(फा.सं. 11058/04/2023-अभासे-III)

कविता चौहान

(कविता चौहान)

अवर सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी- मूल विनियम पत्र सं. 4/3/54-अभासे-II तारीख 06 जून, 1955 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. सं. 428 तारीख 10 जुलाई, 1991 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2024

G.S.R. ....(E): - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following further amendments in the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1955, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Amendment Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1955, (herein after referred to as the said regulations), in regulation 4, in the table, under clause (a), in column (1) under the heading 'Subjects', for item (2), the following item shall be substituted, namely:-

"(2) Basic Economic Principles for Administrators".

3. In the said regulations, in the 'First Schedule', under the heading 'WRITTEN EXAMINATION', for sub-heading 2 relating to 'BASIC ECONOMIC PRINCIPLES AND FIVE YEARS PLANS', the sub-heading "2. BASIC ECONOMIC PRINCIPLES FOR ADMINISTRATORS" shall be substituted.

[F.No. 11058/04/2023-AIS-III]

(Kavita Chauhan)
Under Secretary to the Government of India

Foot Note- The Principal regulations were published in the Gazette of India, vide number 4/3/54-AIS.II dated the 6th June, 1955, and last amended vide GSR No. 428 dated the 10th July, 1991.